



वित्ताधिकारी

Finance Officer

No. Finance/2022/785

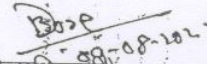
Dated: 22 अगस्त 2022

परिपत्र

विषय: नोड्यूज सर्टिफिकेट एवं पेंशन पुस्तिका समय से वित्त कार्यालय में जमा किये जाने विषयक।

कृपया उक्त विषय पर यह सूचित किया जाता है कि -

1. सेवानिवृत्त होने वाले सम्माननीय शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नो ड्यूज सर्टिफिकेट अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह पूर्व वित्त एवं लेखा कार्यालय से प्राप्त करने का कष्ट करें।
2. सेवानिवृत्त होने वाले सम्माननीय शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से एक माह पूर्व वित्त कार्यालय से जारी हुये नो ड्यूज सर्टिफिकेट को वित्त कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तीन माह पूर्व वित्त कार्यालय से पेंशन-पुस्तिका (यदि वे पुरानी पेंशन योजना में हों, तो) प्राप्त कर प्राप्ति तिथि से 15 दिन अंदर वित्त एवं लेखा कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।
4. ताकि समय से उनके पीएफ, एफबीएलआईएस, पेंशन आदि के प्रकरण अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जा सके।


(वित्ताधिकारी)

प्रतिलिपि-

1. समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी - सूचनार्थ।
2. कुलपति महोदय के निजी सचिव को - सूचनार्थ।
3. समस्त सम्माननीय डीन, डाइरेक्टर, विभागाध्यक्ष, कोर्डिनेटर, पीआई, अधिकारी, अनुभागे अधिकारी - को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सर्कुलर को सभी के संज्ञान में लायें और सेवानिवृत्त होने वाले सम्माननीय शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कराने का कष्ट करें।
4. कुलसचिव महोदय को - सूचनार्थ।
5. अनुभाग अधिकारी व विलिंग असिस्टेंट पेंशन/पीएफ व - यह निर्देश दिया जाता है कि सभी के नोड्यूज सर्टिफिकेट उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से 02 माह पूर्व जारी कराये और पेंशन-पुस्तिका 03 माह पूर्व प्राप्त कराये।
6. आई टी सेल - वित्त कार्यालय के सर्कुलर पोर्टल पर प्रसारित कराने हेतु।


(सहायक कुलसचिव)
वित्त एवं लेखा